दस रुपये TEN RUPEES
दस रुपये
10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

289

I/ निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/2017/2580

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

राजस्व निगरानी क्रमांक- /17

1. धर्मेन्द्र आयु 15 वर्ष
2. परशुराम आयु 11वर्ष दोनो अवयस्क दोनो पुत्र राजेन्द्र उपनाम रानी आयु 43 वर्ष पुत्र स्व. श्री नाथूराम ब्राहमण द्वारा वादमित्र व संरक्षक राजेन्द्र उपनाम रानी निवासी ग्राम व पो. मजना तहसील व जिला टीकमगढ म.प्र.

----आवेदकगण

जी.पी. नायक एड.
9.8.17

9.8.17

बनाम

नरेन्द्र कुमार जैन आयु 26 वर्ष पुत्र श्री हालचन्द्र जैन निवासी ग्राम व पो. मजना तहसील व जिला टीकमगढ म.प्र.

--- अनावेदक

9.8.17
जी.पी.नायक
एड.

पुनरीक्षण आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 प्रतिकूल निर्णय आदेश दिनांक 24/6/2016 जो कि कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ द्वारा अपने कार्यालय के प्रकरण क्रमांक-68/अ-12/15-16 मे पारित कियागया के विरूद्ध

महोदय,

आवेदकगण अपनी पुनरीक्षण याचिका मे सादर निम्न विनय करतेहै:-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इसप्रकार है कि अनावेदक की ओर से राजस्व निरीक्षक टीकमगढ के कार्यालय मे ग्राम मजना खास की भूमि खसरा नम्बर 380/2, 380/7, 148, 149/1, 154/1, 155, 150/1, रकबा 1.99 हे. के सीमांकन कार्यवाही हेतु मध्य प्रदेश भू. राज. संहिता 1959 की धारा-129 के प्रावधानो के अधीन ऐसा आवेदन पेश किया जिस पर आवेदकगण को कोई व्यक्तिश:

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2580 धर्मेंद्र विरूद्ध नरेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 68/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 21-01.19 (आर.के. जैन) सदस्य	